

1	स्थल जहाँ की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	
2	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत है। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत है।
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	महाप्रबंधक, जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली द्वारा सिंगरौली जिले के वन मण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र पश्चिम सरई में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भूमिगत पाईप लाइन डालने का कार्य किया जाना है। भूमिगत पाईप लाइन बिछाने हेतु वन मण्डल सिंगरौली की निम्नानुसार वन भूमि प्रभावित हो रही है।

जिला	वन मण्डल	परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	रकबा हे.में
सिंगरौली	सिंगरौली	जियावन	पीएफ-832	0.5342
			पीएफ-747	0.6057
			पीएफ-746	0.2297
			पीएफ-745	0.2887
			पीएफ-749	0.4973
			पीएफ-750	0.1620
			पीएफ-748	0.2576
			पीएफ-763	0.4505
			पीएफ-751	0.2355
			पीएफ-755	0.3138
			पीएफ-752	0.1123
			पीएफ-833	1.2086
			योग	4.8959

वन मण्डलाधिकारी सिंगरौली द्वारा महाप्रबंधक, जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली को 4.8959 हे. वन भूमि व्यपवर्तन हेतु स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई है एवं अनाधिकृत अतिक्रमिता क्षेत्र में पानी की पाईप लाइन बिछाने की अनुशंसा नहीं की गई है।

		वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल सिंगरौली द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी गोण्ड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत भूमिगत पाईप लाइन बिछाने हेतु 4.8959 हे. वन भूमि महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश परियोजना क्रियान्वयन इकाई सिंगरौली को उपयोग पर देने हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।
--	--	--

तिथि : 10.05.2023

स्थान: रीवा

(राजेश कुमार राय)

भा.व.से.

वन संरक्षक

रीवा वृत्त, रीवा म.प्र.